प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 07.04.2025

❖**जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**

❖**थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत शोभन मन्दिर के पास हुयी चोरी की घटना की सूचना मिलने के पश्चात् त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना शिवली पुलिस द्वारा घटना का मात्र 24 घण्टे के अन्दर किया गया सफल अनावरण।**

❖**चोरी की घटना की सूचना मिलने के पश्चात थाना शिवली पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से तलाश/चेकिंग के दौरान 02 नफर शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**

❖**चोरों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गयी मो0सा0 नं0 यू0पी0 78 एच0यू0 8517, चोरी किये गये 2100/- रुपये, चोरी किया गया मोबाइल फोन व बैग तथा 01 अदद देशी तंमचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 अदद जिंदा कारतूस एवं 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 04.04.2025 को शोभन सरकार मंदिर में वादी श्री पवन वर्मा पुत्र श्री धमेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बारासिरोही थाना कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर घूमने के लिये आये थे तथा अपनी मोटरसाइकिल खडी करके उस पर अपना बैग रखकर प्रसाद लेने के लिये दुकान पर गये थे प्रसाद लेकर वापस आये तो देखा कि मोटरसाइकिल पर बैग नहीं है। जिसमें वादी का मोबाइल, 4000/- रुपये व अन्य सामान था। जिसके सम्बन्ध वादी श्री द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 113/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। चोरी की घटना की सूचना मिलने के पश्चात त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना शिवली पुलिस द्वारा दिनांक 06.04.2025 को शाम के समय शोभन सरकार मंदिर झील के किनारे ललऊपुरवा व कल्यानपुर को जाने वाले चौराहे पर खड़े होकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग की जा रही थी कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार 02 व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये जिन्हें रोकने का इशारा किया गया परंतु उक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया तो बाइक फिसलकर गिर गयी। जब पुलिस टीम ने उन्हें पकडने के लिये आगे बढ़ी तो उनमें से 01 व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बचे तथा दूसरे व्यक्ति ने भी फायर करने की कोशिश की परंतु उसका फायर (कारतूस) मिस हो गया। जब उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा पुनः कारतूस भरने की कोशिश की जा रही थी तभी पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए दोनों व्यक्तियों को शोभन मंदिर झील के पास समय

21.55 बजे पर गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम चन्दन गिहार पुत्र किशोरी गिहार निवासी ग्राम मक्कापुरवा थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 26 वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुशील गिहार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम महिपालपुर थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष बताया तथा अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गयी मो0सा0 यू0पी0 78 एच0यू0 8517 व चोरी गये 4000/- रुपये व मोबाइल फोन व बैग एवं 01 अदद देशी तंमचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 अदद जिंदा कारतूस एवं 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व अन्य सामान बरामद हुआ। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 114/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 109(1) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> अभियुक्तों ने पूछने पर बताया अभियुक्तों से भागने व फायर करने का कारण पूछा गया तो अभियुक्तों द्वारा बताया गया हम दोनों ने इसी मोटर साइकिल से जिसका नम्बर यू0पी0 78 एच0यू0 8517 से दिन व रात में घूम-घूम कर चोरी करते है। हम दोनों ने इसी मोटर साइकिल से दो दिन पहले शोभन सरकार मंदिर के पास प्रसाद की दुकान के पास एक खड़ी मोटर साईकिल पर रखे बैग को मौका देखकर चोरी करके ले गये थे। जिसमें एक मोबाइल फोन एण्ड्राइड, एक आधार कार्ड व 4000 रुपये थे जो उसी बैग में रखे थे जिसमें से हम दोनों ने आधा-आधा बांट लिये थे जो रुपये आप ने हम दोनों से बरामद किये है उसी चोरी किये गये बैग के हैं। शेष रुपये हम दोनों ने खाने पीने में खर्च कर दिये हैं। बरामद सफेद धातु के आभूषण व पासबुक के बारे में पूछा गया तो दोनों ने एक स्वर में बताया कि लगभग डेढ़ महीना पहले रसूलाबाद में मोहल्ला केशव नगर से चोरी किये थे जिसमें से कुछ जेवरात चलते फिरते लोगों को अपनी मजबूरी बताकर विश्वास में लेकर बेच दिये है जो रुपये मिले थे आपस बांट लिये थे जिसको अपनी जरूरत व खाने पीने में खर्च कर दिये हैं जो बैग में आभूषण है उसी चोरी के बचे हुए हैं। मोबाइल फोन को हम दोनों बेचने की फिराक में थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1. सुशील गिहार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम महिपालपुर थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष।
2. चन्दन गिहार पुत्र किशोरी गिहार निवासी ग्राम मक्कापुरवा थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 26 वर्ष।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चन्दन गिहार(उपरोक्त) का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु140 0सं0अ0/394 धारा 2015/ थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर 0वि0द0भा 302
2. मु113 0सं0अ0/303 धारा 2025(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
3. मु114 0सं0अ0/3 धारा 2025/109 आर्म्स एक्ट व 25(1) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सुशील गिहार (उपरोक्त) का आपराधिक इतिहास –</u>

1. मु113 0सं0अ0/303 धारा 2025(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

2. मु114 0सं0अ0/3 धारा 2025/109 आर्म्स एक्ट व 25(1) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण – मो0सा0 नं0 यू0पी0 78 एच0यू0 8517, चोरी किये गये 2100/- रुपये, चोरी किया गया मोबाइल फोन, बैग, 01 अदद देशी तंमचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 अदद जिंदा कारतूस एवं 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम -

1.नि0 अपराध श्री धीरेन्द्र सिंह
2.उ0नि0 सनत कुमार
3. उ0नि0 रमाशंकर
4.हे0का0 04 आलोक कुमार तिवारी
5.का0 608 मुकेश
6.का0 578 धीरेन्द्र सिंह
7.का0 106 वैभव द्विवेदी